भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 399

उत्तर देने की तारीख 27 नवम्बर, 2024 (बुधवार)

6 अग्रहायण, 1946 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्व अवसंरचना विकास योजना

399. श्री बिप्लब कुमार देबः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) के अंतर्गत अनेक परियोजनाओं को मंजूरी दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की राज्य-वार तथा योजना-वार लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने एनईएसआईडीएस परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निगरानी तंत्र लागू किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एनईएसआईडीएस के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं अथवा इन परियोजनाओं को किस प्रकार मंजूरी दी जाती है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पिछले 03 वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस) के तहत 3,417.68 करोड़ रुपये की लागत वाली 90 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका राज्य-वार और स्कीम-वार ब्यौरा **अनुबंध-।** में दिया गया है।

(ग) एनईएसआईडीएस के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का निष्पादन पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और इन परियोजनाओं की निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय भी विभिन्न स्तरों पर एनईएसआईडीएस के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की बारीकी से निगरानी करता है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अन्य के साथ-साथ एनईएसआईडीएस सहित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के नियमित निरीक्षण और मॉनीटरिंग के लिए मंत्रालय द्वारा सभी 08 पूर्वोत्तर राज्यों में फील्ड स्तरीय तकनीकी सहायता इकाइयां (एफटीएसयू) स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं की निगरानी के लिए मंत्रालय द्वारा हाल ही में परियोजना गुणवत्ता

निगरानीकर्ताओं/तृतीय पक्ष तकनीकी निरीक्षण (पीक्यूएम/टीपीटीआई) यूनिटों को नियोजित किया गया है।

(घ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की एनईएसआईडीएस स्कीम के दो घटक हैं, नामतः एनईएसआईडीएस (सड़कें) और एनईएसआईडीएस (सड़क अवसंरचना के अलावा)। एनईएसआईडीएस (सड़कें) के अंतर्गत सड़कों/पुलों और सहायक अवसंरचना के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं की स्वीकृति पर विचार किया जाता है। एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई) के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक विकास, नागर विमानन, खेल, दूरसंचार आदि के लिए अवसंरचना के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं, जिनका परियोजना आकार 5 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये के बीच है, पर मंजूरी के लिए विचार किया जाता है।

सभी पूर्वोत्तर राज्य एनईएसआईडीएस के अंतर्गत लागू अपने नियामक आबंटनों के भीतर परियोजनाओं की मंजूरी के पात्र हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएं दो चरण वाली अनुमोदन प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकृत की जाती हैं। प्रथम चरण में राज्य सरकारें संबंधित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) की सिफारिश से परियोजना को प्राथमिकता प्रदान करती हैं और उसके अवधारणा नोट्स उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करती हैं। नीति आयोग और संबंधित लाइन मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श के बाद एनईएसआईडीएस के लिए अधिकार प्राप्त अंतरमंत्रालयी समिति (ईआईएमसी) द्वारा चयन के लिए अवधारणा नोट्स पर विचार किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और सह-अध्यक्षता पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों द्वारा की जाती है। दूसरे चरण में राज्य सरकारें एसएलईसी की सिफारिश से चयनित परियोजना प्रस्तावों की डीपीआर प्रस्तुत करती हैं। पुनः, डीपीआर के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श के बाद परियोजना प्रस्तावों को एनईएसआईडीएस के तहत मंजूरी के लिए ईआईएमसी के विचारार्थ रखा जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के पास अब शीघ्रकारी एकल स्तरीय मूल्यांकन और ईआईएमसी द्वारा अनुमोदन के लिए अवधारणा नोट और डीपीआर दोनों के साथ परियोजनाओं को सीधे प्रस्तुत करने का विकल्प है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 27-11-2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं.399 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**राज्य**	**एनईएसआईडीएस (सड़क अवसंरचना के अलावा)**		**एनईएसआईडीएस (सड़कें) परियोजना**		**एनईएसआईडीएस के तहत कुल**	
		सं.	**राशि**	**सं.**	**राशि**	**सं.**	**राशि**
1	अरुणाचल प्रदेश	7	297.26	8	306.65	15	603.91
2	असम	12	543.74	11	848.69	23	1392.43
3	मणिपुर	9	253.46	4	96.13	13	349.59
4	मेघालय	2	101.42	2	102.87	4	204.29
5	मिजोरम	13	172.13	1	33.19	14	205.32
6	नागालैंड	3	63.37	4	130.35	7	193.72
7	सिक्किम	3	29.93	2	127.83	5	157.76
8	त्रिपुरा	6	142.38	3	168.28	9	310.66
	कुल	**55**	**1603.69**	**35**	**1813.99**	**90**	**3417.68**

*****